6/1/09

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), BIHAR
(LOCAL AUDIT WING), PATNA –800 001

No. L.A.Sur/ 163) **Dated: -31/12/08**

To,

The Principal Secretary to the Government of Bihar,
Urban Development and Housing Department,
Patna.

Sir,

Audit Report No.- **588/2008-09** on the accounts of **Nagar Panchayat, Bihia** for the Period **2001-02 to 2007-08** is enclosed for your kind information and necessary action.

Yours faithfully

Encl: -As above

Audit Officer/Surcharge
Local Audit Wing, Bihar, Patna

Forwading - Report sent to local offices

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्याः- 588/2008-09

1. प्रस्तावना

नगर पंचायत, बिहिया (भोजपुर) के वित्तीय वर्ष 2001-02 से 2007-08 तक के लेखाओं का नमूना जाँच प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), स्थानीय लेखा परीखा शाखा, पटना के एक लेखा परीक्षा दल द्वारा दिनांक 20/10/2008 से 01/11/2008 की अवधि में किया गया।

2. प्रशासन

अध्यक्ष		
क्रम सं0	नाम	अवधि
1.	श्री छठी लाल प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी	01.04.2001 से 13.06.2002
2.	श्रीमति राजेश्वरी देवी	14.06.2002 से 15.01.2004
3.	श्री अनिल कुमार गुप्ता	16.01.2004 से 08.06.2007
4.	श्रीमति किरण देवी	09.06.2007 से 31.03.2008
उपाध्यक्ष		
1.	श्री बनारसी प्रसाद	14.06.2002 से 08.06.2007
2.	श्री नन्द जी सिंह	09.06.2007 से 31.03.2008
कार्यपालक पदाधिकारी		
1.	श्री जयराम पाल, विशेष पदाधिकारी	01.04.2001 से 25.12.2001
2.	श्रीमति राखी कुमारी केशरी	26.12.2001 से 08.08.2003
3.	श्री कंचन कपूर	09.08.2003 से 10.02.2006
4.	श्री विजय कुमार पाण्डेय	11.02.2006 से 20.04.2007
5.	श्री राम विनय शर्मा	21.04.2007 से 17.07.2007
6.	श्री अरूण कुमार सिंह	18.07.2007 से 31.03.2008

3. लेखा परीक्षा का क्षेत्र

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये एवं नमूना जाँच किये गये अभिलेखों की सूची **परिशिष्ट- I** में तथा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये अथवा असंधारित अभिलेखों एवं बहियों की सूची **परिशिष्ट- I (क)** में दी गयी है।

4. पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

नगर पंचायत कार्यालय द्वारा पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं उसके निराकरण से संबंधित कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया।

5. अधिदृश्य

नगर पंचायत, बिहिया केन्द्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान एवं ऋण तथा स्वयं के स्त्रोतों से वित्त पोषित है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये विभिन्न रोकड़ बहियों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2001-02 से 2007-08 के आय-व्यय का संग्रहित विवरण निम्नलिखित हैः-

क्रम सं0	विवरण	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1.	प्रारम्भिक शेष	25,16,793.68	18,46,831.68	11,77,275.68	16,33,085.68	21,12,367.68	32,71,479.20	42,62,961.12
2.	वर्ष की प्राप्तियाँ							
	(i) अनुदान	95,429.00	9,51,865.00	17,60,025.00	10,37,6660.00	23,74,162.00	30,21,721.00	25,11,193.00
	(ii) ऋण	35,626.00	72,932.00	1,47,694.00	शून्य	66,288.00	शून्य	शून्य
	(iii) स्वयं के स्त्रोत	1,93,455.00	3,06,727.00	2,91,158.00	2,08,173.00	4,04,377.52	4,21,716.92	3,44,543.62
3.	वर्ष की प्राप्तियों का योग	3,24,510.00	13,31,524.00	21,98,877.00	12,45,839.00	28,44,827.52	34,43,437.92	28,55,736.62
4.	सकल योग	28,41,303.68	31,78,355.68	33,76,152.68	28,78,924.68	49,57,195.67	67,14,917.12	71,18,697.74
5.	व्यय							
	(i) स्थापना एवं विविध	3,67,396.00	4,54,124.00	3,99,326.00	5,74,134.00	5,03,205.00	7,87,621.00	10,03,771.00
	(ii) योजनाओं पर व्यय	6,27,076.00	15,46,956.00	13,43,741.00	1,92,423.00	11,82,511.00	16,64,335.00	1,33,641.00
6.	कुल व्यय	9,94,472.00	20,01,080.00	17,43,067.00	7,66,557.00	16,85,716.00	24,51,956.00	11,37,412.00
7.	अंतशेष	18,46,831.68	11,77,275.68	16,33,085.68	21,12,367.68	32,71,479.20	42,62,961.12	59,81,285.74
31/03/2008 को अंतशेषः-								59,81,285.74
जोड़ः- रा0स्0ज0श0रे0 योजना एवं रा0गं0ः- बस्ती विकास योजना के मद में बैंक द्वारा प्राप्त सूद की राशि								2,82,429.28
घटावः- उपर्युक्त मदों में बैंकों द्वारा कमीशन कटौती की राशिः-								4,756.00
इस प्रकार वास्तविक अंतशेषः-								62,58,959.02

बैंक खाता के अनुसार अंतशेष (31/03/2008)

1.	कोषागार पासबुक	42,21,171.00
2.	सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, बिहिया (खाता संख्या- 19)	3,48,900.00
3.	भारतीय स्टेट बैंक, बिहिया (खाता संख्या- 01190020990)	2,69,620.54
4.	सावधि निवेश, सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, बिहिया, खाता संख्या- 19 (पी0 एल0 खाता)	95,541.00
5.	भारतीय स्टेट बैंक, बिहिया (खाता संख्या-12447)	13,23,726.48
	सावधानित कुल	**62,58,959.02**

(विवरण **परिशिष्ट-II** पर)

6. रोकड़ बही की त्रुटियाँ।

रोकड़ बहियों में निम्नलिखित त्रुटियाँ पायी गयी:-

(i.) आय एवं व्यय पक्ष में प्रविष्टियों के सन्दर्भ में वर्गीकरण नहीं पाया गया।

(ii.) माह एवं वर्ष के अंत में प्राप्ति एवं व्यय का सार विश्लेषण तैयार नहीं किया गया।

(iii.) व्ययों के समर्थन में जो अभिश्रव उपलब्ध कराये गये, ना तो उनमें अभिश्रव संख्या दर्ज पाया गया और ना ही उन्हें व्यवस्थित ढ़ंग से रखा पाया गया, जिसके कारण इनकी समूचित जाँच नहीं की जा सकी। इनपर अभिश्रव संख्या दर्ज कर एवं गार्ड फाइल में व्यवस्थित कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये।

(iv.) एकादश, द्वादश, पथों का निर्माण/जिर्णोद्धार एवं विधायक मद के लिए कोई अलग सहायक रोकड़ बही संधारित नहीं किया गया बल्कि पी0एल0 लेखा के साथ इनकी राशि सम्मिलित पाई गई।

(v.) स्व0 ज0 श0 रो0 योजना एव रा0 गं0 बस्ती विकास योजना के लिए सम्मिलित रोकड़ बही संधारित किया गया।

(vi.) कई मदों के लिए एक ही रोकड़ बही संधारित होने से प्रारम्भिक शेष एवं अंतशेष का मदवार विश्लेषण नहीं ज्ञात हो सका, सहायक अभिलेख संधारित कर प्रारम्भिक शेष एवं अंतशेष का मदवार विश्लेषण अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये।

(vii.) वर्ष के अंत में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी।

(viii.) व्ययों का विस्तृत विवरण अंकित नहीं किया गया था।

7. लेखा परीक्षा की प्रमुख उपलब्धियाँ।

क्रम सं0	कंडिका सं0	विवरण	अभ्युक्ति (लाख रू0)
1.	8	आंतरिक लेखा परीक्षा	107.80
2.	12	बजट तैयार नहीं किये जाने के कारण अप्राधिकृत व्यय	3.42
3.	14(ii.)	बन्दोबस्ती राशि की वसूली नहीं	11.44
4.	15	राजस्व हानि	11.33
5.	17	भवन कर बकाया माँग	0.88
6.	18	सरकारी भवनों पर बकाया	0.29
7.	19	खतरनाक व्यवसाय बकाया	

8.	20	निधि का विचलन	4.26
9.	22	स्व0ज0श0रो0 योजना, मार्गदर्शिका का उल्लंघन	
10.	23	राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास योजना मार्गदर्शिका का उल्लंघन	
11.	26	अपूर्ण योजनाओं पर व्यय	3.38
12.	27	दैनिक मजदूरी भुगतान	0.89
13.	29	बकाया अग्रिम	32.19

8. आंतरिक लेखा परीक्षा।

बिहार नगरपालिका नियम अथवा अधिनियम में आंतरिक लेखा परीक्षा का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन बिहार नगरपालिका लेखा नियम 1928 की धारा 20, 66 एवं अन्य धाराओं के अंतर्गत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी अथवा वार्ड पार्षदों की बैठक में इस योजना हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निधि के अभिलेखों, लेखाओं की जाँच नियमित रूप से करने की व्यवस्था दी गयी, ताकि किसी भी अनियमितताओं/त्रुटियों की संभावना को दूर किया जा सके।

नगर पंचायत के लेखाओं/अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि इस तरह के जाँच की व्यवस्था नहीं की गयी। परिणामस्वरूप विभिन्न त्रुटियाँ अनियमिततायें पायी गयीं, जिनकी चर्चा संबंधित कंडिकाओं में किया गया।

नगर पंचायत प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराते हुए सुझाव दिया जाता है कि नियम, अधिनियमों की धाराओं के अनुरूप नियमित रूप से आंतरिक जाँच की व्यवस्था किया जाय ताकि भविष्य में किसी भी त्रुटियों/अनियमितताओं की संभावना को दूर किया जा सके।

9. बैंक कमीशन।

लेखापाल रोकड़ बही एवं एस0 जे0 एस0 आर0 वाई0/एन0 एस0 डी0 पी0 रोकड़ बही तथा संबंधित बैंक पास बुक के नमूना जाँच में पाया गया कि सरकार द्वारा निर्गत विभिन्न मदों के अनुदानों से संबंधित ड्राफ्ट/चेक के समाशोधन के लिए बैंक द्वारा कमीशन की राशि की कटौती की गई, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

(I.) पी0 एल0 लेखा (सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, बिहिया, खाता संख्या-19)

प्राप्ति पक्ष में कमीशन कटौती के पश्चात् कम जमा

दिनांक	अनुदान की राशि	जमा राशि	कटौती
30.04.2001	71,252	71,110	142
30.04.2001	59,803	59,683	120

	29.04.2002	1,45,863	1,45,571	292
	कुल योग			**554**

व्यय पक्ष में कमीशन कटौती की राशि

दिनांक	राशि (रूपये में)
30.04.2001	393.00
29.04.2002	292.00
19.06.2003	1,953.00
25.03.2004	40.00
09.08.2004	1,224.00
13.07.2005	572.00
17.07.2006	1,328.00
22.12.2006	214.00
31.03.2007	66.00
16.03.2007	625.00
21.01.2008	110.00
योग	**6,817.00**

(II.) **एस0जे0एस0आर0 वाई0/एन0एस0डी0पी0 :–**

(भारतीय स्टेट बैंक, बिहिया, खाता संख्या– 12447)

व्यय पक्ष में कमीशन कटौती की राशिः–

दिनांक	राशि (रूपये में)
15.03.2003	2,010.00
10.08.2004	371.00
23.08.2004	2,259.00
31.03.2006	15.00
29.03.2007	51.00
कुल योग	**4,706.00**

लेखा परीक्षा टिप्पणी।

सरकार के सेवार्थ जारी ड्राफ्ट/चेक के समाशोधन के लिए उपर्युक्त विवरण के अनुसारस कमीशन कटौती की राशि रूपये 12,077.00 पायी गयी, इस प्रकार की कटौती नियम विरूद्ध है, इसके लिए संबंधित बैंक से पत्राचार कर वस्तुस्थिति से अगले अंकेक्षण का अवगत कराया जाये। साथ ही, समान चेक/ड्राफ्ट के लिए रूपये 544.00 की दोहरी कटौती आय एवं व्यय दोनों पक्ष में की गई, यह भी अगले अंकेक्षण में स्पष्ट किया जाये।

10. सरकारी अनुदान।

अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया, जिसके कारण 2001-02 से पूर्व का अव्यवहृत अनुदान, 2001-08 की अवधि में प्राप्त अनुदान के साथ योग 2001-08 की अवधि में व्यवहृत अनुदान एवं 31.03.2008 को अव्यवहृत अनुदान के शेष राशि की स्थिति को ज्ञात नहीं किया जा सका, अनुदान से संबंधित स्वीकृति पत्र भी लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। रोकड़ बही की प्रविष्टियों के अनुसार वर्ष 2001-08 की अवधि में कुल रूपये 1,17,52,552.00 का अनुदान प्राप्त हुआ, जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः-

1.	वेतन एवं भत्ता	10,55,916.00
2.	एकादश वित्त आयोग	12,22,997.00
3.	बरहवें वित्त आयोग	18,69,062.00
4.	स्व0 ज0 श0 रोजगार योजना	15,95,941.00
5.	रा0 गं0 व0 विकास योजना	25,33,000.00
6.	बी0पी0एल0 सर्वे	89,236.00
7.	विधायक मद योजना	13,61,400.00
8.	विविध	20,25,000.00
	कुल योग	**1,17,52,552.00**

(विस्तृत विवरण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट- III** पर दिया गया है।)

उपर्युक्त से संबंधित अनुदान पंजी एवं विनियोग पंजी का विहित संधारण कर अगले लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराया जाये।

11. सरकारी ऋण

ऋण पंजी एवं ऋण विनियोग पंजी का संधारण नहीं किया गया, इसकी अनुपलब्धता के कारण पूर्व का प्राप्त ऋण, 2001-08 की अवधि में स्वीकृत ऋण एवं प्राप्त ऋण, व्यवहृत राशि

लौटाने योग्य मूलधन एवं ब्याज की रशि लौटायी गयी राशि तथा 31/03/2008 तक कुल देय राशि की जाँच संभव नहीं हो सका। स्वीकृत पत्र भी लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। वर्ष 2001-08 की अवधि में रोकड़ बही की प्रविष्टियों के अनुसार प्राप्त ऋण का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम सं0	स्वीकृति पत्र सं0/दिनांक	प्राप्त राशि	मद	जमा की तिथि
1.	521/न0वि0वि0/23.02.2001	35,626.00	वेतन, भत्ते	19.04.2001
2.	3477//न0वि0वि0/20.11.2001	72,932.00	वेतन, भत्ते	29.04.2002
3.	775//न0वि0वि0/13.03.2003	73,847.00	वेतन, भत्ते	30.06.2003
4.	460//न0वि0वि0/05.02.2004	73,847.00	वेतन, भत्ते	31.03.2004
5.	804//न0वि0वि0/26.04.2005	66,288.00	वेतन, भत्ते	18.05.2005
योग		**3,22,540.00**		

उपर्युक्त के समर्थन में ऋण पंजी एवं ऋण विनियोग पंजी का विहित संधारण का अगले लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराया जाये।

12. बजट अनुमान।

बिहार एवं उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम, 1922 की धारा- 71 के उपबंधों के अनुसार आगामी वर्ष का अनुमानित आय-व्यय का बजट वर्ष प्रारंभ होने के दो माह पूर्व तैयार कर धरा-72 के अन्तर्गत स्थानीय स्तर पर आम जनता/करदाताओं के सुझावों हेतु प्रकाशित किये जाने की व्यवस्था दी गयी।

उक्त अधिनियम की धारा- 73 के अनुरूप चौदह दिनों की समाप्ति के उपरांत उक्त प्रस्तावित बजट को यथा संशोधित अथवा मूल रूप में अनुमोदित कर सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने की व्यवस्था दी गयी। बगैर बजट के अनुमोदन के किया गया व्यय अप्राधिकृत करार दिया गया।

नगर पंचायत की नमूना लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि वर्ष 2001-02 से 2007-08 की अवधि का बजट तैयार नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप उक्त अवधि मे कुल रूपये 1,07,80,260.00 का व्यय आप्राधिकृत रूप से किया गया।

13. वार्षिक लेखा

नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2001-02 से 2007-08 की अवधि में आय-व्यय को दर्शाने वाली वार्षिक वित्तीय विवरण (वार्षिक लेखा) तैयार नहीं किया गया जो नियम एवं अधिनियमों में उपबंधित किया गया। इसकी अनुपलब्धता/असंधारितता के कारण वर्षवार एवं मदवार आय-व्यय के

सही आँकड़ों एवं बजट प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित लक्ष्यों के विरूद्ध लक्ष्य प्राप्त को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

नगर पंचायत प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराते हुए सुझाव दिया जाता है कि नियम, अधिनियमों के उपबंधों का पालन कर बजट अनुमान एवं वार्षिक लेखा तैयार करने की दिशा में उचित कदम उठाया जाय ताकि आय-व्यय का अनुमानित एवं वास्तविक आँकड़े उपलब्ध हो सके।

14. (i.) बंदोबस्ती

वर्ष 2001-02 से 2007-08 की अवधि में विभिन्न सैरातों की बंदोबस्ती किया गया, जिनमें कई बंदोबस्ती संचिका उपलब्ध नहीं कराया गया, जिनके विरूद्ध राशि का जमा रोकड़ बही में दर्शाया गया, लेकिन संचिका उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण डाक (बंदोबस्ती) की राशि एवं इनका पूर्ण राशि के जमा को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। कुछ उदाहरण निम्न प्रकार हैः-

क्रम स0	सैरात का नाम	वर्ष	डाकधारी का नाम	जमा राशि
1.	टिन टिकट	2001-02	श्री बुटन सिंह	35,100.00
2.	टिन टिकट	2004-05	श्री बुटन सिंह	41,000.00
3.	टिन टिकट	2005-06	श्री बुटन सिंह	25,000.00
4.	रेलवे गुमटी के निकट बाजार	2005-06	अनुपलब्ध	1,61,200.00

अतः नगर पंचायत प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए सुझाव दिया जाता है कि संचिकाओं का अवलोकन कर डाक की राशि एवं इसके विरूद्ध जमा की जाँच को सुनिश्चित किया जाय तथा अगले लेखा परीक्षा को स्पष्ट किया जाये।

(ii.) कम वसूली (राजस्व हानि)।

संचिकाओं के अवलोकन से यह पाया गया कि कई सैरातों की बंदोबस्ती की राशि डाकधारियों से वसूल नहीं किये गये अथवा कम वसूल किये गये, जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्रम सं0	सैरात का नाम	वर्ष	डाकधारी का नाम	डाक की राशि	जमा राशि	कम जमा/ जमा नहीं
1.	टिन टिकट	2006-07	सर्वश्री बुटन सिंह	44,000	25,000	19,000
2.	टिन टिकट	2007-08	सर्वश्री बुटन सिंह	45,000	37,515	7,485
3.	रेलवे गुमटी के उत्तर स्थित बाजार	2003-04	शिवव्यास सिंह	1,31,000	98,000	33,000

4.	रेलवे गुमटी के दक्षिण स्थित बाजार	2001-02	शिवव्यास सिंह	24,150	12,075	12,075
5.	रेलवे गुमटी के दक्षिण स्थित बाजार	2003-04	शिवव्यास सिंह	42,501	21,251	21,250
6.	रेलवे गुमटी के दोनों ओर स्थित बाजार (उत्तर+दक्षिण)	2004-05	धर्मदयाल सिंह, मनोज कुमार सिंह 10.06.04 से 31.03.05	2,16,000	1,62,000	54,000
7.	रेलवे गुमटी के दोनों ओर स्थित बाजार (उत्तर+दक्षिण)	2006-07	विनोद कुमार सिंह	2,35,000	1,05,500	1,29,500
8.	रेलवे गुमटी के दोनों ओर स्थित बाजार (उत्तर+दक्षिण)	2007-08	संजय सिंह	2,71,200	2,05,600	65,600
			योग			**3,41,910**

लेखा परीक्षा टिप्पणी।

(i.) डाक हेतु गत तीन वर्षों की डाक की औसत राशि पर कम से कम 10% बढ़ोतरी की राशि को न्यूनतम राशि रखकर डाक की प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी बल्कि गत वर्ष के डाक की राशि को न्यूनतम सुरक्षित जमा राशि मानते हुए डाक की प्रक्रिया अपनायी गयी, जिसके कारण प्रतिवर्ष सैरातों पर चालू राजस्व की हानि उठानी पड़ी।

(ii.) सुलभ शौचालय की बंदोबस्ती वर्ष 2007-08 में नहीं किया गया, जबकि गत वर्ष इसे 2,100/- रूपये में बंदोबस्त किया गया, दिनांक 31.01.2008 को प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार श्री सुरेश प्रसाद द्वारा इसपर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर आस पास की खूली भूमि के साथ झोपड़ी डालकर आवास के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था जिसे खाली करने हेतु दिनांक 01.02.2008 को एक साधारण सूचना दिया गया लेकिन उक्त शौचालय को अब तक (01.11.2008) ना हीं खाली कराया गया, ना हीं कोई अन्य कार्रवाई की गयी, परिणाम स्वरूप वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 की अवधि हेतु कम से कम 2,100X2=4,200/- रूपये की राजस्व हानि नगर पंचायत निधि को उठानी पड़ी, जो जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूलनीय है।

(iii.) वर्ष 2008-09 से संबंधित किसी भी बंदोबस्ती संचिका लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके कारण इस वर्ष में सैरातवार उक्त की राशि एवं अद्यतन जमा राशि को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

(iv.) उपर्युक्त विवरण के क्रम संख्या- 1, 2, 4 एवं 7 की बकाया राशि की वसूली हेतु कोई प्रक्रिया अपनायी गयी हो, इसे स्पष्ट नहीं किया गया।

(v.) शेष क्रम संख्या-3, 5, 6 एवं 8 की वसूली हेतु क्रमशः 14.10.2003, 14.10.2003, 09.09.2004, 09.09.2004 एवं 01.10.2007 को साधारण नोटिस मात्र दिया गया, इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्रवाई से संबंधित सूचना संचिका में नहीं पाया गया।

(vi.) क्रम संख्या-6 वर्ष 2004-05 हेतु श्री धर्मदयाल सिंह द्वारा रूपये 2,16,000.00 में डाक लिया गया जिसके विरूद्ध शर्त के अनुसार आधी राशि रूपये 1,08,000.00 विविध रसीद संख्या-1378 दिनांक 22.03.2004 द्वारा जमा किया गया तथा बाद में श्री सिंह द्वारा प्रतिवेदन दिया गया कि जून से मार्च तक इसी डाक की राशि के आधार पर श्री मनोज कुमार सिंह के नाम स्थानान्तरित कर दिया जाय, जिस पर तीनों पक्ष (श्री सिंह, श्री मनोज कुमार सिंह एवं नगर पंचायत प्रशासन) द्वारा सहमति के आधार पर दिनांक 10.06.2004 से 31.03.2005 की अवधि के लिये नया एकरारनामा श्री मनोज कुमार सिंह के साथ किया गया तथा वसूली आदेश निर्गत किया गया, शर्त के अनुसार डाक की शेष राशि श्री मनोज कुमार सिंह को जमा करना था, जिसके लिये दिनांक 309.09.2004 को नोटिस दिया गया, लेकिन राशि जमा नहीं किया गया, पुनः कोई कार्रवाई से संबंधित कोई भी टिप्पणी, स्मार-पत्र अथवा अन्य सूचना संलग्न नहीं था।

लेखा परीक्षा के परिणाम

उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि नगर पंचायत प्रशासन द्वारा डाक की राशि की वसूली हेतु गंभीरता से प्रयास नहीं किया गया तथा वसूली की अवहेलना की गयी, परिणाम स्वरूप नगर पंचायत निधि को इस मद में कम से कम रूपये 3,41,910.00 की राजस्व हानि उठानी पड़ी।

(ध्यातब्य है कि उक्त अवधि के कर दारोगा श्री रविन्द्र नाथ सिंह का निधन हो चुका है।)

अतः स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, को प्रतिवेदित किया जाता है कि उक्त हानि की राशि को संबंधित जिम्मेवार व्यक्तियों से संयुक्त अथवा व्यक्तिगत रूप से वसूलने हेतु स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम- 1925 की धारा 9(i)(ख) के अंतर्गत क्यों नहीं विचार किया जाये।

(1.)	(उपर्युक्त विविरणी की क्रम संख्याः- 4)		
	क्रम सं0	जिम्मेवार व्यक्तियों के नाम व पदनाम	राशि (रूपये में)
		सर्वश्री	
	(i.)	जयपाल राम, विशेष पदाधिकारी	
	(ii.)	श्रीमति राखी कुमारी केसरी, कार्यपालक पदाधिकारी	12,075.00
	(iii.)	कंचन कपूर, कार्यपालक पदाधिकारी	
	(iv.)	विजय कुमार पाण्डेय, कार्यपालक पदाधिकारी	
	(v.)	श्री राम विनय शर्मा, कार्यपालक पदाधिकारी	
	(vi.)	अरूण कुमार सिंह, कार्यपालक पदाधिकारी	
	(अधिभार विवरण - 1 के क्रम संख्या- 01 के अनुसार)		
(2.)	(उपर्युक्त विवरण की क्रम संख्या- 3 एवं 5)		
	(i.)	श्रीमति राखी कुमारी केसरी, कार्यपालक पदाधिकारी	54,250.00
	(ii.)	कंचन कपूर, कार्यपालक पदाधिकारी	
	(iii.)	विजय कुमार पाण्डेय, कार्यपालक पदाधिकारी	
	(iv.)	राम विनय शर्मा, कार्यपालक पदाधिकारी	
	(v.)	अरूण कुमार सिंह, कार्यपालक पदाधिकारी	
	(अधिभार विवरण - 1 के क्रम संख्या- 02 के अनुसार)		
3.	(उपर्युक्त विवरण की क्रम संख्या- 6)		54,000.00
	(i.)	कंचन कपूर, कार्यपालक पदाधिकारी	
	(ii.)	विजय कुमार पाण्डये, कार्यपालक पदाधिकारी	
	(iii.)	राम विनय शर्मा, कार्यपालक पदाधिकारी	
	(iv.)	अरूण कुमार सिंह, कार्यपालक पदाधिकारी	
	(अधिभार विवरण - 1 के क्रम संख्या- 03 के अनुसार)		
4.	(उपर्युक्त विवरण की क्रम संख्या- 1 एवं 7)		1,48,500.00
	(i.)	विजय कुमार पाण्डेय, कार्यपाल पदाधिकारी	
	(ii.)	राम विनय कुमार शर्मा, कार्यपालक पदाधिकारी	

	(iii.)	अरूण कुमार सिंह, कार्यपालक पदाधिकारी	
	(अधिभार विवरण – 1 के क्रम संख्या– 04 के अनुसार)		
5.	**(उपर्युक्त विवरण की क्रम संख्या– 2 एवं 8)**		73,085.00
	(i.)	विजय कुमार पाण्डेय, कार्यपालक पदाधिकारी	
	(ii.)	राम विनय कुमार शर्मा, कार्यपालक पदाधिकारी	
	(iii.)	अरूण कुमार सिंह, कार्यपालक पदाधिकारी	
	(अधिकभार विवरण – 1 के क्रम संख्या– 05 के अनुसार)		

15. राजस्व हानि (ट्रान्समिशन टावर)

नमूना लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा क्षेत्र में अवस्थित मोबाईल टावरों का अभिलेख का विहित संधारण नहीं किया गया। उपलब्ध कराये गये सूची के अनुसार नगर पंचायत, बिहिया क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न कंपनियों का कुल 8 (आठ) टावर विभिन्न अवधि से अवस्थित था, जिनपर कर निर्धारण एवं भवन/भूमि धारकों पर व्यावसायिक भवन/भूमि पर लगने वाले करों का निर्धारण एवं अग्रहण नहीं किया गया, जिसके कारण पंचायत निधि को प्रतिवर्ष बड़ी राशि की राजस्व हानि उठानी पड़ी।

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार टावर लगाने के पूर्व नगर पंचायत से 500/– का शुल्क के साथ अनापत्ति–पत्र निर्गत होने के उपरांत इसका शुल्क रूपये 2,000/– प्रति मीटर प्रतिवर्ष की दर से भुगतान किये जाने की व्यवस्था के साथ भवन/भूमि धारक जिनके भवन/भूमि पर टावर लगाया जाना है, क्षेत्र के हिसाब से कम से कम रूपये 2,500/– प्रतिवर्ष की दर से कर का भुगतान किया जाना उपबंधित किया गया, जो निर्धारित नहीं किया गया, कुल टावरों एवं भूमि/भवन धारकों तथा न्यूनतम शुल्क का विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्रम सं0	टावर लगाने वाली कंपनी का नाम	भूमि/भवन धारक का नाम एवं वार्ड नंबर सर्वश्री	टावर लगाये जाने का वर्ष	अनुमानित ऊँचाई (मीटर)	प्रस्तावित दर प्रति वर्ष प्रति मीटर	भूमि/भवन पर कर की राशि	कुल राशि 31.03.08 तक
1.	एयरटेल	वीरेन्द्र सिंह–1	2007–08	40	2000X40	2,500	82,500
2.	भारत संचार निगम लिमिटेड	प्रखण्ड परिसर–5	2004–05	40	2000X40X 4	2,500	3,22,500
3.	एयरटेल	कृष्ण मोहन शर्मा–14	2006–07	40	2000X40X	2,500	1,62,500

					2		
4.	टाटा इंडिकॉम	राजेन्द्र पाण्डेय-8	2006-07	40	2000X2	2,500	1,62,500
5.	आईडिया	परमेश्वर दयाल-8	2007-08	40	2000X40	2,500	82,500
6.	रिलायंस	विजय कुमार-14	2006-07	40	2000X40 X2	2,500	1,62,500
7.	एयरसेल	कन्हैया प्रसाद-8	2007-08	40	2000X40	2,500	82,500
8.	एयरटेल	शिवाधार साह-3	2007-08	40	2000X40	2,500	82,500
कुल							**11,40,000**

उपर्युक्त के अतिरिक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु रूपये 500/- प्रति की दर से 8 टावरों का 4,000/- अर्थात कुल 11,44,000/- रूपये की कम से कम राजस्व हानि उठानी पड़ी।

अतः नगर पंचायत प्रशासन का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट करते हुए सुझाव दिया जाता है कि टावरों की वास्तविक ऊँचाई के आधार पर इनपर तथा भूमि/भवन धारकों पर प्रस्तावित दर से करारोपण एवं वसूली की कार्यवाही की जाय साथ हीं अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिये बगैर टावरों के अवस्थापन हेतु शास्ति की दर निर्धारित कर वसूल किया जाय ताकि नगर पंचायत निधि को अधिक राजस्व की प्राप्त हो सके तथा निधि की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

16. स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर जमा नहीं।

बिहार प्राईमरी शिक्षा (संशोधन अधिनियम-1959) तथा बिहार शिक्षा उपकर नियमावली 1972 के अंतर्गत नगरपालिका क्षेत्र में बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य एवं शिक्षा की व्यवस्था के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर को आरोपित किया गया, जिसकी वसूल की गयी राशि से वसूली शुल्क 10% काटकर शेष राशि सरकार के संबंधित विभाग के शीर्ष में जमा किये जाने की व्यवस्था दी गयी।

वसूली लेखा की नमूना जाँच में यह पाया गया कि वर्ष 2001-08 की अवधि में वसूल की गयी राशि सरकार की निधि में जमा नहीं किया गया, वसूली का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम सं0	वर्ष	स्वास्थ्य उपकर	शिक्षा उपकर
1.	2001-02	23,670.05	23,172.45
2.	2002-03	12,756.00	12,695.00
3.	2003-04	6,967.50	6,967.50

4.	2004-05	6,798.25	6,798.25
5.	2005-06	70,933.00	70,933.00
6.	2006-07	8,118.75	8,118.75
7.	2007-08	9,983.50	9,983.50
कुल वसूली		**1,39,227.05**	**1,38,668.45**
वसूली शुल्क 10%		**13,922.70**	**13,866.85**
जमा योग राशि		**1,25,304.35**	**1,24,801.60**

उपर्युक्त राशि रूपये 2,50,105.95 [1,25,304.35(+)1,24,801.60] सरकार के संबंधित विभाग के उचित शीर्ष में जमा करने हेतु उचित प्रयास किया जाय तथा इन्हें जमाकर अगले अंकेक्षण को दिखलाया जाये।

17. माँग एवं वसूली (भवन कर)।

भवन कर से संबंधित माँग एवं वसूली पंजी संधारित नहीं की गई/उपलब्ध नहीं करायी गयी। नगर पंचायत कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ों के अनुसार माँग एवं वसूली का विवरण **परिशिष्ट- IV** पर दिया जा रहा है, जिसके अनुसार 31.03.2008 को कुल बकाया राशि रूपये 11,33,239.07 पायी गयी।

अंकेक्षण आपत्तिः

(क) उपर्युक्त बकाया राशि वर्ष 2001-02 से पहले से लंबित चली आ रही है, एवं चालू माँग के विरूद्ध वसूली का प्रतिशत भी काफी कम है, जिससे बकाया राशि में लगातार वृद्धि हो रही है। उक्त बकाया राशि के वसूली के लिए विहित/कानूनी प्रक्रिया अपनायी जाय एवं परिणाम से अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जाये।

(ख) बिहार एवं उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम 1922 की धारा 106 एवं 107 के अनुसार भवन कर की दरें प्रत्येक पाँच वर्ष पर संशोधित/वृद्धि की जानी चाहिए, परन्तु वर्ष 1976 के बाद दरों में कोई संशोधन नहीं पाया गया जिसके कारण नगर पंचायत निधि को काफी राजस्व की हानि हुई। दरों में संशोधन क्यों नहीं की गई स्पष्ट करते हुए यथाशिध्र दरों को संशोधित कर अगले अंकेक्षण में अवगत कराया जाये।

(ग) नगर पंचायत कार्यालय द्वारा ज्ञात हुआ कि वर्ष 1976 के बाद निर्मित भवनों पर करारोपण नहीं किया गया। नगर के दिनों -दिन होते विकास को देखते हुए इस प्रकार नगर पंचायत निधि को बड़ी राशि को राजस्व की हानि पहुँचाई गई। इस संबंध में स्पष्टीकरण देते हुए

करारोपण के लिए कानूनी/विहित प्रक्रिया अपनाई जाये एवं परिणाम से अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जाये।

(घ) माँग व वसूली पंजी का विहित संधारण कर अगले अंकेक्षण में उपलब्ध कराया जाये।

18. सरकारी भवनों पर बकाया कर।

सरकारी भवनों से संबंधित माँग एवं वसूली पंजी संधारित नहीं की गई। उपलब्ध नहीं करायी गयी। नगर पंचायत कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ों के अनुसार 31/03/2008 को सरकारी भवनों पर कुल बकाया करों की राशि रूपये 88,256.00 पायी गयी जिसका विवरण **परिशिष्ट- V** पर दिया जा रहा है।

अंकेक्षण आपत्ति।

(क) उक्त राशि रूपये 88,256.00 वर्ष 1976 से बकाया है, यानि सरकारी भवनों पर करों की वसूली कभी नहीं की गयी, जो लगातार बढ़ती जा रही है। उक्त राशि के वसूली के लिए विहित/कानूनी प्रक्रिया अपनायी जाये एवं परिणाम से अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जाये।

(ख) सरकार के निर्देश के बावजूद कर की दरों में कभी संशोधन नहीं किया गया, कारण अगले अंकेक्षण में स्पष्ट किया जाय एवं इस हेतु विहित प्रक्रिया अपनाते हुए परिणाम से अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जाये।

(ग) माँग एवं वसूली पंजी का विहित संधारण कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये।

19. खतरनाक व्यवसाय अनुज्ञप्ति शुल्क।

खतरनाक व्यवसाय अनुज्ञप्ति शुल्क से संबंधित माँग व वसूली पंजी संधारित नहीं की गई/उपलब्ध नहीं करायी गयी। नगर पंचायत कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ों के अनुसार माँग एवं वसूली का विवरण **परिशिष्ट- VI** पर दिया जा रहा है, जिसके अनुसार 31/03/2008 को कुल बकाया रूपये 28,645.00 पायी गयी।

अंकेक्षण आपत्ति।

(क) उपर्युक्त बकाया राशि काफी समय से लंबित आ रही है एवं चालू माँग के विरूद्ध वसूली का प्रतिशत भी काफी कम है, जिसके कारण बकाया राशि में लगातार वृद्धि हो रही है। उक्त राशि के वसूली के लिए विहित/कानूनी प्रक्रिया अपनायी जाये एवं परिणाम से अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जाये।

(ख) जैसा की विवरण से स्पष्ट है कि शहर के विकास को देखते हुए माँग काफी कम है एवं लेखा परीक्षा अवधि में माँग स्थिर है। स्पष्ट है कि नगर पंचायत अवस्थित सभी खतरनाक

व्यवसाय पर करारोपण नहीं किया गया, इस हेतु विहित/कानूनी प्रक्रिया अपनायी जाय एवं परिणाम से अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जाय।

(ग) कार्यालय द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर वर्ष 2000 मे सरकार द्वारा दरों में संशेधन से संबंधित निर्देश प्राप्त हुआ था (लेखा परीक्षा में पत्र अनुपलब्ध) परन्तु करों की वसूली पुराने (प्रारम्भिक) दरों के अनुसार की जा रही है। करों में संशोधन हेतु विहित प्रक्रिया अपनायी जाय एवं अगले अंकेक्षण में सरकार का पत्र उपलब्ध कराते हुए परिणाम से अवगत कराया जाये।

(घ) माँग एवं वसूली पंजी का विहित संधारण कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये।

20. निधियों का विचलन।

(क) वित्तीय वर्ष 2002-03 में राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम में उपलब्ध राशि रूपये 7,40,129.20 के विरूद्ध रूपये 11,66,205.00 व्यय किये गये। इस प्रकार अधिक किया गया व्यय रूपये 4,26,075.80 का विचलन किस मद से किया गया एवं उसकी भरपाई हुई या नहीं, अगले अंकेक्षण में स्पष्ट किया जाय तथा इसके लिए सक्षम स्वीकृति एवं प्राधिकार से अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जाय।

(ख) द्वादश वित्त मद में प्रथम आवंटन पत्रांक-3991/न0वि0वि0/28/09/2005 द्वारा दिनांक 28/03/2006 को प्राप्त हुई जबकि दिनांक 24.02.2006 को द्वादश वित्त मद के अंतर्गत पाँच योजनाओं के लिए कुल रूपये 35,000.00 की अग्रिम दी गई। उक्त भुगतान किस मद से की गई, एवं इसके लिए सक्षम स्वीकृत एवं प्राधिकार से अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जाय।

21. स्वामित्व कर एवं बिक्री कर जमा नहीं।

एकादश वित्त मद में 31.03.2006 को कुल अंत शेष रूपये 39,206.00 पाया गया। नमूना जाँच में पाया गया कि इस राशि में रूपये 38,710.00 विभिन्न योजनाओं में कटौती की गई स्वामित्व कर एवं बिक्री कर की राशि सम्मिलित थी, जबकि योजनाओं में की गई उक्त करों की कटौतियों की राशि, प्रत्येक कटौती को अगले माह के 15 तारिख तक संबंधित विभाग के उचित शीर्ष में जमा कर देनी चाहिए।

उपरोक्त कुल राशि रूपये 38,710.00 सरकारी खाते के उचित शीर्ष में जमा कराते हुए शेष राशि रूपये 496.00 नगर विकास विभाग को वापस कर दिया जाय एवं अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जाये।

22. स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना।

उपर्युक्त योजना के संबंध में निर्गत मार्गदर्शिका में निम्नलिखित उपबंध किये गये। इस कायक्रम के तीन सुस्पष्ट भाग किये गये,

(i.) अलग-अलग शहरी निधन हिताधिकारियों को लाभप्रद स्व-रोजगार उद्यमों की स्थापना के लिये सहायता प्रदान करना।

(ii.) शहरी निधन महिलाओं के समूह को लाभप्रद स्व-रोजगार उद्यमों की स्थापना के लिये सहायता प्रदान करना। इस उप योजना को शहरी क्षेत्रों में महिलाओं और शिशुओं के विकास की योजना (डी0डब्लूय0सी0यू0ए0) नाम दिया गया।

(iii.) हिताधिकारियों, भावी हिताधिकारियों और शहरी रोजगार कार्यक्रम से जुड़े अन्य व्यक्तियों के उन्नयन और व्यावसायिक एवं उद्यमी कौशल प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण देना।

इस कार्यक्रम का लक्ष्य;

(i.) निर्धन (बी0पी0एल0 सूची) के अंतर्गत परिवारों की पहचान करना।

(ii.) महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों, विकलांग व्यक्तियों और ऐसे अन्य श्रेणी के व्यक्तियों पर विशेष ध्यान दिया जाना जिसे भारत सरकार समय-समय पर सूचित करेगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत महिला हिताधिकारियों का प्रतिशत कम से कम 30 होगा। अनुसूचित जाति/जनजाति को स्थानीय आबादी मे कम से कम उनके हिसाब से लाभ प्रदान किया जाना। इस कार्यक्रम में विकलांग व्यक्तियों के लिये 3% आरक्षण की विशेष व्यवस्था किया जाना।

अन्य उपबंध निम्न प्रकार है:-

(i.) सामुदायिक विकास समिति, नेबर हुड कमिटी, नेबर हुड ग्रुप एवं गरीबी निवारण कोषांग का गठन एवं इनकी अनुशंसा से चयनित योजनाओं की स्वीकृति दिया जाना।

(ii.) निर्माण संबंधी कार्य उक्त समितियों द्वारा निष्पादित किया जाना।

(iii.) शहरी गरीबी उन्नमूलन हेतु दी गयी राशि का उपयोग गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की बस्ती में किया जाना।

(iv.) योजनाओं के चयन, कार्यान्वयन एवं समीक्षा में निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों द्वारा अपेक्षित सहायोग किया जाना।

(v.) शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सामान्य नियंत्रण, पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता की निगरानी किया जाना।

नगर विकास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक- 5 ग0नि0 011011/2003-154/न0वि0वि0, पटना दिनांक 24.03.2004 की कंडिका 4.3 की बिन्दू- 2 में स्पष्ट उल्लेख किया गया कि निर्माण्ण का कार्य अन्य एजेन्सी तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ग्रामीण अभियंत्रण संगठन आदि से कराया जाना बिल्कुल अनियमित है।

योजनाओं की नमूना जाँच में यह पाया गया कि उपर वर्णित किसी भी मार्गदर्शिका का पालन नहीं किया गया, निगरानी एवं गुणवत्ता जाँच की व्यवस्था नहीं की गयी, सड़क एवं नाली निर्माण के अतिरिक्त अन्य योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं किया गया, महिलाओं अनुसूचित जाति/जनजाति एवं विकलांगों को प्रस्तावित भागीदारी नहीं दिया गया। योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रखण्ड कार्यालय के जन सेवक इत्यादि को अभिकर्त्ता के रूप में नियुक्त किया गया।

मार्गदर्शिका के अनुसार अधिक रोजगार के अवसर श्रम एवं सामग्री का अनुपात 60:40 रखा जाना था, जिसका अनुपालन नहीं किया गया, कुछ उदाहरण निम्न प्रकार हैः-

क्रम सं0	योजना सं0	प्राक्कलित राशि	व्यय की गयी राशि	मजदूरी पर व्यय	सामग्री पर व्यय	अनुपात
1.	7/2003-04	44,850	36,484	9,802	26,682	27:73
2.	9/2003-04	98,000	76,701	8,979	67,722	12:88
3.	11/2003-04	48,350	42,332	6,868	35,454	16:84
4.	8/2002-03	11,798	7,930	760	7,170	10:90
5.	4/2002-03	98,460	87,000	24,156	62,842	28:82
6.	3/2002-03	32,340	26,244	3,591	22,653	14:86
7.	2/2002-03	57,640	57,152	14,972	42,180	26:74
8.	1/2002-03	33,700	30,037	12,863	17,174	43:87

(ii.) योजनाओं के कार्यान्वयन में पायी गयी अन्य अनियमिततायें निम्न प्रकार हैः-

(1)	**योजना संख्याः-**	**9/2003-04, वार्ड नंबर- 10 में विक्रमा प्रसाद के घर से अजय तिवारी के घर तक ईंट सोलिंग कार्य।**
	प्राक्कलित राशिः-	98,000/- रूपये।
	अभिकर्त्ता :-	श्री जय कुमार राम, जन सेवक।
	कार्य का मूल्यः-	76,701/- रूपये मापी पुस्त अनुपलब्ध।
	भुगतानित राशिः-	नगद 76,701/- रूपये।

कार्य में प्रयुक्त सामग्री पर विक्रीकर एवं खनन शेष की राशि की कटौती नहीं किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्रम सं0	सामग्री	मात्रा	मूल्य	कटौती योग्य वा0 कर	खनन शेष
1.	ईट	26000	48,854.00	3,908.00	650.00
2.	स्थानीय बालू	8387 cft	18,868.00	---	---
योग				3,908.00	650.00

उपर्युक्त कुल राशि 4,558/- [3,908/- (+) 650/-] संबंधित जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूल कर सरकार के संबंधित विभाग के उचित शीर्ष में जमा किया जाय। मापी पुस्त की उपलब्धता तक शेष राशि 72,143/- रूपये आपत्ति के अंतर्गत रखी जाती है।

(2.)	योजना संख्याः-	12/2003-04, श्री दीनानाथ के घर से अस्फाक मियाँ के घर तक ईट सोलिंग निर्माण कार्य।
	प्राक्कलित राशिः-	80,300/- रूपये।
	कार्य का मूल्यः-	77,109/- रूपये
	भुगतानित राशिः-	नगद 77,109/- रूपये।
	अभिकर्त्ता :-	श्री जय कुमार राम, जन सेवक।

क्रम सं0	सामग्री	मात्रा	मूल्य	कटौती योग्य वा0 कर	खनन शेष	अतिरिक्त भुगतान
1.	ईट	27,925	52,471	4,198	698	20X10=200.00

रूपये 4,896/-+200/- संबंधित व्यक्तियों से वसूलनीय है।

23. राष्ट्रीय गंदी विकास योजना।

उपर्युक्त योजनान्तर्गत गंदी बस्ती में रहने वाले परिवारों की बेहतर सुविधा मुहेया कराने हेतु निम्नलिखित कार्याक्रमों को प्राथमिकता के आधार पर चयन कर कार्यान्वित किया जाना निर्देशित किया गया।

(i.) जलापूर्ति योजना।

(ii.) नाला निर्माण।

(iii.) सामुदायिक शौचालय एवं स्नानागर।

(iv.) गली का चौड़ीकरण।

(v.) सड़क एवं आवासीय सुधार।

16

(vi.) नये आवास निर्माण इत्यादि।

उपर्युक्त गंदी बस्ती की पहचान हेतु सामुदायिक विकास समिति, गरीबी निवारण कोषांग का गठन किया जाना जो उन वस्तियों की सूची तैयार कर मूलभूत सुविधाओं की पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर कार्यों का चयन कर अनुशंसा करेगी। तत्पश्चात् कार्य योजना तैयार कर इन्हीं के माध्यम से कार्यान्वयन किया जाना उपबंधित किया गया।

कुल उपलब्ध राशि का 10% गंदी बस्ती में बसर करने वाले गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाले भवनहीन अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों के आवास निर्माण पर व्यय किया जाना निदेशित किया गया।

नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2001-02 से 2007-08 की अवधि में कुल उपलब्ध राशि निम्न प्रकार थीः-

1.	01.04.2001 को प्रा0 शेष	12,41,519.20
2.	01.2008 की अवधि में प्राप्तियाँ	25,33,000.00
	कुल योग	**37,74,519.20**

उपर्युक्त राशि के विरूद्ध वर्ष 2001-08 की अवधि में कुल रूपये 32,74,882/- का व्यय किया गया, जिसमें मात्र 7 आवास निर्माण की योजनाओं का चयन किया गया जिसकी योजना वर्ष 2002-03 में तैयार की गयी थी, जिसकी प्राक्कलित राशि 33,800/- प्रति ईकाई की दर से 2,36,600/- मात्र थी, इसमें लाभार्थियों को 2,22,398/- का भुगतान किया गया तथा 5 योजनायें हीं पूर्ण की गयी जबकि दो योजनायें जो भौतिक रूप से पूर्ण दर्शाया गया, मापी की राशि क्रमशः 33,347/- एवं 33,788/- के विरूद्ध मात्र 29,241/- तथा 27,500/- का भुगतान किया गया।

उपर्युक्त विवरण के अनुसार 3,27,488/- की योजना के विरूद्ध मात्र 2,36,600/- की योजना का कार्यान्वयन किया गया, परिणामस्वरूप रूपये 90,888/- का विचलन अन्य मदों (योजनाओं) में किया गया, जिसकी प्रतिपूर्ति किये जाने की व्यवस्था किया जाय। इसकी प्रतिपूर्ति होने तक विचलन की राशि 90,888/- रूपये आपत्ति के अंतर्गत रखी जाती है।

उपर्युक्त के समर्थन में लाभार्थी के गरीबी रेखा के नीचे बसर किया जाना, बंदी बस्ती का नागरिक एवं भवनहीन होना जैसी किसी भी बिन्दु को स्पष्ट नहीं किया गया।

नमूना लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि योजनाओं का कार्यान्वयन समितियों के माध्यम से नहीं कराया गया बल्कि प्रखण्ड कार्यालय के जन सेवक इत्यादि को कार्यकर्त्ता बनाकर किया गया।

उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि मार्गदर्शिका के अनुरूप कार्यान्वयन नहीं किया गया बल्कि इसका उल्लंघन किया गया। अन्य अनियमिततायें निम्न प्रकार हैः-

(1.)	**योजना संख्याः-**	**7/2002-03, इन्द्रावती देवी एवं विजय राम के घर होते हुए शिव मन्दिर तक ईंट सोलिंग कार्य।**
	अभिकर्त्ता :-	श्री हृदयानन्द सिंह, पंचायत सेवक।
	प्राक्कलित राशिः-	63,550/- रूपये।
	कार्य का मूल्यः-	55,667/- रूपये। मापी पुस्त अनुपलब्ध
	भुगतानित राशिः-	नगद 55,667/- रूपये।

क्रय की गयी सामग्री पर वा0 कर एवं खनन शेष की कटौती नहीं किया गया। विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्रम सं0	सामग्री	मात्रा	मूल्य	वा0 कर	खनन शेष
1.	ईंट	22,500	34,000.00	2,720.00	563.00
2.	सिमेंट	24 बैग	3,240.00	356.00	----
3.	सोन बालू	150 cft	1,275.00	102.00	19.00
4.	चिप्स	42 cft	853.00	77.00	14.00
योग				**3,255.00**	**596.00**

उपर्युक्त राशि 3,851/- [3,255 (+) 596] संबंधित जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूलनीय है।

लेखा परीक्षा टिप्पणी।

सड़क में ईंट सोलिंग कार्य हेतु सिमेंट, सोन बालू, चिप्स इत्यादि की आवश्यकता नहीं थी, जिसका क्रय किया गया, मापी पुस्त की अनुपलब्धता के कारण इनका इस्तेमाल किस रूप में किया गया, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप कार्य का निष्पादन संदिग्ध है, इसकी उच्चस्तरीय जाँच कर सही वस्तुस्थिति को सुनिश्चित किया जाय। स्पष्टीकरण तक शेष राशि 51,816/- [55,667(-)3,851] आपत्ति के अंतर्गत रखी जाती है।

(ii.) मजदूर नामावली एवं अभिश्रव पर दिनांक अंकित नहीं किया गया।

(2.)	**योजना संख्याः–**	**3/2004–05, वार्ड नंबर– 1 में कलुट के घर से जमुआँ रोड तक ईंट सोलिंग कार्य।**
	अभिकर्त्ता :–	श्री गिरजा नन्द राम, जन सेवक।
	प्राक्कलित राशिः–	99,500/– रूपये।
	कार्य का मूल्यः–	99,451/– रूपये
	भुगतानित राशिः–	नगद 95,464/– रूपये।
	वा0 कर कटौतीः–	1,998/– रूपये।
	खनन शेष कटौतीः–	1,989/– रूपये।
कुल योग :–		**99,451/– रूपये।**

(i.) अभिश्रव :– 80,060/– रूपये।

(ii.) मिस्त्री 81X100/– :– 11,492/– रूपये।

(iii.) मजदूर 169X68 :– 11,492/– रूपये।

योगः– 99,652/– रूपये।

लेखा परीक्षा टिप्पणी।

(i.) सामग्री के विपत्र पर एवं मजदूर नामावली पर दिनांक अंकित नहीं पाया गया।

(ii.) 36,000 ईंटों के मुल्य रूपये 73,100/– के क्रय पर प्रस्तावित दर पर 5,848/– के एवज में मात्र 1,998/– वा0 कर के रूप में कटौती किया गया, परिणाम स्वरूप रूपये 3,850/– की कम कटौती किया गया जो वसूलनीय है।

(iii.) कार्य हेतु 81 मिस्त्री को 100/– रूपये प्रतिदिन प्रति मिस्त्री को भुगतान किया गया जो अनुमोदित दर से 10/– रूपये प्रति दिन प्रति मिस्त्री की दर से कुल 8,100/– का अधिक भुगतान अभिकर्त्ता को किया गया, जो वसूलनीय है।

उपर्युक्त विवरण के अनुसार 11,950/– |3850(+)8,107| संबंधित जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूलकर संबंधित निधि के उचित शीर्ष में जमा किया जाये।

24. वारहवें वित्त आयोग।

उपर्युक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु निर्गत मार्गदर्शिका में निम्नलिखित घटक थेः–

(i.) स्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत राशि ठोस अवशिष्टों के प्रबंधन पर व्यय किया गया जाना जिसके अंतर्गत अवशिष्टों का संग्रहण, पृथकीकरण एवं परिवहन इत्यादि सम्मिलित होंगें,